न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	30/25	2025/33	15.01.2025	रामसहाय बनाम सरकार	17.11.2025	1 लगायत 2

1. रामसहाय पुत्र भोला माली आयु 75 साल निवासी बाढ विचला तहसील गंगापुर सिटी।
–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–
अपीलार्थी की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री तरूण शर्मा
रेस्पोडेन्ट की और से :– पेरोकार सरकार

अपील अर्न्तगत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 96/2024 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बाढकलां के आराजी ख0नं0 137 रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0श्मशानघाट पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है बल्कि उक्त भूमि से सटवां अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है। किन्तु उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा कोई मौका नहीं देखा गया है ना ही कोई सीमाज्ञान किया गया है, तथा एक पक्षीय रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपीलान्ट सीधा सादा ग्रामीण परिवेश का वृद्व व्यक्ति है जो श्मशान की भूमि पर कब्जा करने की मंशा नहीं रखता है, किन्तु उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपीलार्थी का एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 137 ग्राम बाढ बिचला में कोई कब्जा काश्त नहीं है। ना ही अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण है। अपीलार्थी ने अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य में अपीलार्थी व अपीलार्थी का कोई वारिस सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण या कब्जा नहीं करेगा अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार गंगापुर सिटी आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 12.11.2024 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.11.2024 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:15 IST
Reason: SelfAttested